



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते
राजस्व वाद संख्या: 212/2017

दायर दिनांक 27.07.2017

| वादी | प्रतिवादीगण |
|--|--|
| 1. नरपतसिंह दत्तक पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी बरांगना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | 1. धापूकंवर पत्नी स्व० रघुवीरसिंह (फौत) 2. मदनसिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह 3. सयारकंवर पुत्री भंवरसिंह 4. सज्जनसिंह पुत्र अगरसिंह 5. शेरसिंह पुत्र अगरसिंह 6. संग्राम सिंह पुत्र अगरसिंह (फौत) 7. जब्बरसिंह पुत्र हणूतसिंह 8. नाथुसिंह पुत्र हणूतसिंह 9. सुप्यार कंवर पत्नी हणूतसिंह 10. जगदीश सिंह पुत्र सांवतसिंह 11. माधोसिंह पुत्र सांवतसिंह 12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सांवतसिंह 13. ओमकंवर पुत्री सांवतसिंह 14. उगमकंवर पुत्री सांवतसिंह 15. गोपाल कंवर पत्नी सांवतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बरांगना तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान 16. सहनाजबानों पत्नी हबीब खां जाति कायमखानी निवासी बरांगना तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान 17. मैनेजर एस०बी०आई बैंक शाखा डीडवाना 18. मैनेजर एस०बी०बी०जे० शाखा डीडवाना 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, |
| | बनाम् |

दावा नाबत
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश मोठ, वकील, वादी।
2. श्री शरीफ शेरानी वकील प्रतिवादी सं० 04

-:: निर्णय ::-


दिनांक 07.09.2018

शरहद मौजा बंरागना तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 203 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.08 बीघा खसरा संख्या 222 रकबा 4.03 बीघा, खसरा संख्या 345 रकबा 33.12 बीघा, खसरा संख्या 346 रकबा 105.04 बीघा व खसरा नम्बर 347 रकबा 7.19 बीघा भूमि, के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 25.05.2018 को प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 06 फौत होने के कारण इनका नाम इस वाद से हटाया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1596 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनांक 12.07.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बंरागना तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 203 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.08 बीघा खसरा संख्या 222 रकबा 4.03 बीघा, खसरा संख्या



सहायक फलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

345 रकबा 33.12 बीघा, खसरा संख्या 346 रकबा 105.04 बीघा व खसरा नम्बर 347 रकबा 7.19 बीघा भूमि, का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


सहायक कलेक्टर
(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इक्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 212/2017

दायर दिनांक 27.07.2017

| वादी | प्रतिवादीगण |
|--|---|
| 1. नरपतसिंह दत्तक पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी बरांगना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। | 1. धापूकंवर पत्नी स्व० रघुवीरसिंह (कौत) 2. मदनसिंह दत्तक पुत्र भवरसिंह 3. सयारकंवर पुत्री भंवरसिंह 4. सज्जनसिंह पुत्र अगारसिंह 5. शेरसिंह पुत्र अगारसिंह 6. संग्राम सिंह पुत्र अगारसिंह (कौत) 7. जब्बरसिंह पुत्र हयूतसिंह 8. नाथुसिंह पुत्र हयूतसिंह 9. सुप्यार कंवर पत्नी हयूतसिंह 10. जगदीश सिंह पुत्र सांवतसिंह 11. नाधोसिंह पुत्र सांवतसिंह 12. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सांवतसिंह 13. ओमकंवर पुत्री सांवतसिंह 14. उगमकंवर पुत्री सांवतसिंह 15. गोपाल कंवर पत्नी सांवतसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बरांगना तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान 16. सहनाजवानों पत्नी हबीब खां जाति कायमखानी निवासी बरांगना तहसील-डीडवाना जिला-नागौर राजस्थान 17. मैनेजर एस०वी०आई बैंक शाखा डीडवाना 18. मैनेजर एस०वी०बी०जे० शाखा डीडवाना 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, |

दावा बाबत

बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 188, R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 07.09.2018

यह मुकदमा आज यारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई उपरिस्थित श्री ओमप्रकाश मोठ, वकील, वादी व श्री शरीफ शायनी वकील प्रतिवादी स0 04 की ओर से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बंरागना तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 203 रकबा 16.04 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.08 बीघा खसरा संख्या 222 रकबा 4.03 बीघा, खसरा संख्या 345 रकबा 33.12 बीघा, खसरा संख्या 346 रकबा 105.04 बीघा व खसरा नम्बर 347 रकबा 7.19 बीघा भूमि, का बाई मिट्स एण्ड वारण्डस से वंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.07.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-.....खर्चा इस मुकदम के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.09.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुददई | रूपया | पस | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|--|--------|----|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वजह सयूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिफ | - - | | स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिफ | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना